माननीय न्यायमूर्ति एस.एस. ग्रेवाल के समक्ष

डॉ विनोद कुमार गोयल और अन्य,- याचिकाकर्ता

बनाम

केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य, -प्रतिवादी

Criminal Misc. No. 7675-M of 1989

14 दिसंबर 1990.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (II of 1974) धारा 482- भारतीय दंड संहिता, 1860- धारा 406, 498- ए, 323, 384, 506, 120- बी एफ.आई.आर. को रद्द करना। एफ.आई.आर. पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ दर्ज - पत्नी द्वारा रिश्तेदारों के खिलाफ क्रूरता या दहेज सौंपने का कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया एफ.आई.आर. निरस्त किया जा सकता है - पति पर लगे आरोप, हालांकि, प्रथम दृष्टया मामले का खुलासा करते हुए - विचरण न्यायलय ने अकेले पति के खिलाफ मुकदमा आगे बढ़ाने का निर्देश दिया।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि शिकायत में केवल सामान्य आरोप या तो सभी अभियुक्तों को दहेज के सामान को इस्त्रीधन के रूप में सौंपने के संबंध में, या, बाद में शिकायतकर्ता- पत्नी को दहेज के ऐसे सामान को वापस करने से इनकार करने के संबंध में, लागू नहीं होंगे। किसी विशेष आरोपी के खिलाफ अपराध करने का प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए पर्याप्त है। ऊपर उल्लिखित स्पष्ट, विशिष्ट और सुस्पष्ट आरोपों के अभाव में और अभियुक्त के खिलाफ आगे के आरोपों के अभाव में कि उसने बेईमानी से या दुर्भावनापूर्ण इरादे से उन वस्तुओं को अपने पास रख लिया था और उन वस्तुओं को पत्नी को वापस करने से इनकार कर दिया था, जिनके विशेष उपयोग के लिए ऐसा किया गया था। कथित तौर पर सामान उसे सौंपा गया था, उस विशेष आरोपी के खिलाफ इस तरह के अपराध के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया जाएगा। आक्षेपित एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोपों को ध्यान में रखते हुए। रिश्तेदारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत कथित तौर पर अपराध करने से संबंधित कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया गया है। इस प्रकार आक्षेपित एफ.आई.आर. रिश्तेदारों के खिलाफ और उसके तहत की गई परिणामी कार्यवाही को रद्द करने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि ऐसी कार्यवाही जारी रखना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

(पैरा 8 एवं 15)

यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि पति के खिलाफ स्पष्ट, विशिष्ट और अस्पष्ट आरोपों को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत कथित

अपराध के संबंध में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया गया है। ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया जाता है कि वह कानून के मुताबिक आरोपी- पति के खिलाफ ही मामले की सुनवाई आगे बढ़ाए।

(पैरा 17)

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई कि याचिका स्वीकार की जाए और धारा 406/498, 323/384/506, 120बी आई.पी.सी. आदि के अंतर्गत एफ.आई.आर. न. 170 of 1988, पुलिस में पंजीकृत थाना (पश्चिम) चंडीगढ़, इसके आधार पर पेश चालान एफ.आई.आर. और विद्वान मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ द्वारा 8 अगस्त, 1989 को तय किया गया आरोप, रद्द किया जाए.

रमन महाजन, याचिकाकर्ताओं के वकील।

आनंद स्वरूप, सीनियर. अधिवक्ता के साथ सुनिध कश्यप, अधिवक्ता, यू.टी. चंडीगढ़ के लिए।

ए.के.मित्तल, प्रतिवादी संख्या 2 के लिए वकील।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति एस. एस. ग्रेवाल, जे.

(1) यह याचिका यानी सी.आर.एल. विविध. 1989 की संख्या 7675- एम पुन: डॉ. विनोद कुमार गोयल आदि बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य तथा साथ ही सीआरएल. विविध. 1990 की संख्या 1164- एम, भारत भूषण गोयल बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ और अन्य, धाराओं के अभियुक्त-याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 406/498- ए, 323/384/506 और 120- बी अंतर्गत 1988 की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 170 पुलिस स्टेशन (पश्चिम) चंडीगढ़ में दर्ज और इसके परिणामस्वरूप न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, चंडीगढ़ द्वारा 8 अगस्त, 1989 को तय किए गए आरोप सहित कार्यवाही की गई को रद्द करने से संबंधित है।, । चूंकि कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न शामिल हैं, इसलिए इन दोनों याचिकाओं का निपटारा एक ही आदेश से किया जाएगा।

(2) संक्षेप में, उन याचिकाओं के निपटान के लिए प्रासंगिक तथ्य, जैसा कि विवादित प्रथम सूचना रिपोर्ट से सामने आया है, वह यह है कि शिकायतकर्ता की शादी भारत भूषण गोयल के साथ 10 अप्रैल, 1988 को भटिंडा में हुई थी। उस अवसर पर, शिकायतकर्ता पत्नी के पिता और उसके अन्य रिश्तेदारों ने विभिन्न उपहार और नकदी दी थी, जिसे पति को सौंप दिया गया था और उसके माता- पिता को भी यह उम्मीद की गई थी कि वे आवश्यकता पड़ने पर शिकायतकर्ता- पत्नी को ये सभी सामान दे देंगे। शादी के बाद, आरोपी- याचिकाकर्ता ने अपर्याप्त दहेज लाने के लिए शिकायतकर्ता- पत्नी के साथ

दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। एक दिन भटिंडा में रहने के बाद शिकायतकर्ता पत्नी चंडीगढ़ आ गई। उनके पति भारत भूषण गोयल रोहतक विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति पर व्याख्याता के पद पर कार्यरत थे। 12 अप्रैल, 1988 को उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि दिया गया दहेज काफी कम है, भारत भूषण शिकायतकर्ता पत्नी के पति रोहतक के लिए रवाना हो गए। शिकायतकर्ता-पत्नी के पिता ने भारत भूषण को समझाने की कोशिश की लेकिन वह जिद पर अड़े रहे और 16-5-1988 तक चंडीगढ़ नहीं आए। ससुर का संदेश मिलने पर शिकायतकर्ता पत्नी को भटिंडा भेजा गया। उस अवसर पर पत्नी के पिता द्वारा 30,000/- रूपये दिये गये, जिसमें से 30,000/- रूपये दिये गये। आरोपियों को 10,000/- रुपये दिये गये तथा शेष राशि रुपये दिये गये। पत्नी के खाते में 20,000/- रुपये रखे हुए थे. 27-4-1988 को पति का स्थानांतरण चंडीगढ़ हो गया जहां वह 20-5-1988 तक अपनी पत्नी के साथ रहे। इस अंतराल के दौरान रु. पत्नी के पिता ने अपने दामाद भारत भूषण गोयल को 40,000/- रुपये और दिए, लेकिन पत्नी के साथ दुर्व्यवहार जारी रहा और अंततः 16-8-1988 को उसे उसके वैवाहिक घर से निकाल दिया गया। 21-6-1988 को पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ में पढ़ रही अपनी पत्नी को पति ने थप्पड़ जड़ दिये। इसके अलावा, यह दलील दी गई कि आभूषण और टीवी, स्कूटर और कपड़े आदि सहित अन्य मूल्यवान वस्तुएं पत्नी को नहीं सौंपी गईं और सभी आरोपी-याचिकाकर्ताओं ने उसे और अधिक दहेज लाने के लिए मजबूर करने के लिए उसके प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया।

(3) उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

(4) शिकायतकर्ता-पत्नी की ओर से, मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि शिकायत में उल्लिखित तथ्य और रिकॉर्ड पर मौजूद अन्य सामग्री, अंकित मूल्य पर लेने पर, स्पष्ट रूप से पति, सास-ससुर और संबंधित अन्य संबंधों के खिलाफ मामला बनता है। विवाह के समय उन्हें दहेज की वस्तुएं (इस्त्रीधन) सौंपना; कि उन्होंने उसका इस्त्री धन लौटाने से इनकार कर दिया था और बेईमानी और दुर्भावना से उसे अपने पास रख लिया था, ताकि खुद को गलत लाभ पहुंचाया जा सके और शिकायतकर्ता को गलत नुकसान पहुंचाया जा सके। ऐसे में प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत पति और याचिकाकर्ताओं सहित उसके पूर्वोक्त संबंधों के खिलाफ दंडनीय मामला बनता है।

(5) इस संबंध में भरोसा प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार (1), में शीर्ष न्यायालय के निर्णय पर रखा गया है, जिसमें बहुमत के दृष्टिकोण के अनुसार, यह माना गया कि जहां विवाहित महिला द्वारा अपनी शिकायत में स्त्रीधन संपत्तियों को सौंपने या दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था और आरोप स्पष्ट, विशिष्ट और स्पष्ट थे और शिकायत में बताए गए सभी तथ्य सही थे। धारा 405, 406 के तहत अपराध, मामले को साबित करने का अधिकार शिकायतकर्ता को मना नहीं किया जा सकता। चूंकि शिकायत ने प्रथम दृष्टया आपराधिक विश्वासघात के अपराध का खुलासा किया है जैसा कि धारा 405, 406, उच्च न्यायालय द्वारा धारा 482 के तहत शिकायत को रद्द करना उचित नहीं था।

(6) प्रतिभा रानी के मामले (ऊपर) में प्रतिपादित कानून के प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है। हालाँकि, सी.आर.पी.सी की धारा 482 के तहत शुरुआती चरणों में आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से निपटने के दौरान, यह प्रत्येक विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि क्या विवादित शिकायत/एफ.आई.आर. में स्पष्ट, विशिष्ट और साफ आरोप लगाए गए हैं। उनके अंकित मूल्य पर लेने से प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत दंडनीय अपराध होने का मामला बनता है या नहीं और इसके लिए आपराधिक कार्यवाही का सहारा लिया जाता है। ऐसी स्थिति में यह न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा या नहीं।

(7) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने सही तर्क दिया है कि किसी भी स्पष्ट, विशिष्ट और साफ आरोपों के अभाव में या तो शादी के समय दहेज के सामान (इस्त्री धन का गठन) किसी विशेष आरोपी को सौंपने के संबंध में, या बाद में चरण में, विशिष्ट आरोपों के अभाव में या तो आरोपी ने किसी व्यक्तिगत आरोपी को सौंपे गए इस्तरी धन या दहेज के सामान को वापस करने से इनकार कर दिया या उसे गलत लाभ पहुंचाने के लिए उस विशेष आरोपी द्वारा बेईमानी और दुर्भावना से उसे अपने पास रख लिया और शिकायतकर्ता को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के लिए, धारा 406, I.P.C के तहत दंडनीय किसी भी अपराध के कमीशन का प्रथम दृष्टया उस विशेष आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं है।

---

(1) AIR 1985 SC 628

(8) शिकायत में केवल सामान्य आरोप या तो सभी अभियुक्तों को दहेज के सामान को इस्तिराधन के रूप में सौंपने के संबंध में, या, बाद में शिकायतकर्ता पत्नी को दहेज के ऐसे सामान को वापस करने से इनकार करने से, किसी विशेष आरोपी के खिलाफ धारा 405 या 406, I.P.C के तहत दंडनीय अपराध प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। किसी विशेष आरोपी को दहेज की विशिष्ट वस्तुएं सौंपने के संबंध में स्पष्ट, विशिष्ट और सुस्पष्ट आरोपों के अभाव में और उसके खिलाफ आगे के आरोपों के अभाव में कि जिस पत्नी के विशेष उपयोग के लिए ऐसी वस्तुएं कथित तौर पर उसे सौंपी गई थीं, उस उसने बेईमानी से या गलत इरादे से उसे अपने पास रख लिया था और उन वस्तुओं को वापस करने से इनकार कर दिया था उस विशेष आरोपी के खिलाफ ऐसे अपराध के लिए कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया जाएगा। आम तौर पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के तहत दंडनीय आपराधिक विश्वासघात के अपराध के कमीशन से संबंधित मामलों में, एक विशेष आरोपी प्रथम दृष्टया से केवल अपने व्यक्तिगत कृत्यों के लिए जिम्मेदार कहा जा सकता है और उस पर संयुक्त या परोक्ष दायित्व नहीं डाला जा सकता।

(9) उपरोक्त उल्लिखित प्रतिभा रानी के मामले में शीर्ष न्यायालय द्वारा न तो ये तर्क उठाए गए थे, न ही इस पहलू पर विशेष रूप से विचार किया गया था या निर्णय लिया गया था। प्रतिभा रानी के मामले (सुप्रा) में निपटाया गया मुख्य प्रश्न यह था कि वैवाहिक घर में प्रवेश करने वाली एक महिला, इस्त्री धन संपत्ति का स्वामित्व, पति या उसके संबंधों के साथ संयुक्त नहीं हो जाती है और भले ही इस्त्री- धन संपत्ति की हो एक विवाहित महिला को उसके पति या ससुराल वालों की हिरासत में रखा जाता है, उन्हें ट्रस्टी माना जाएगा, और जब भी वह मांग करेगी तो वे उसे वापस करने के लिए बाध्य होंगे। शिकायतकर्ता- पत्नी की दहेज या इस्त्री- धन संपत्ति के संबंध में आपराधिक विश्वासघात के कमीशन से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के सवाल से निपटने के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए उपरोक्त तर्क काफी प्रासंगिक हैं।

(10) बालकिशन और अन्य बनाम पूनम वर्मा (2) मामले में मुझे इस न्यायालय की एकल

(2) 1937 (1) Recent Criminal Reports 657.

पीठ के प्राधिकार से पर्याप्त समर्थन मिला है। जिसमें शिकायत में पति के रिश्तेदारों के खिलाफ कार्यवाही की गई है, जिनके खिलाफ दहेज के किसी भी सामान को सौंपने के बारे में कोई विशेष आरोप नहीं था और केवल यह दावा किया गया था कि आरोपी व्यक्ति पत्नी बन गए और ऐसी वस्तुओं को अपनी हिरासत में रखा। पति के संबंधों के खिलाफ ऐसी कार्यवाही को रद्द करने का निर्देश दिया गया।

(11) यह इस न्यायालय के विभिन्न एकल पीठ प्राधिकारियों में अपनाया जाने वाला सुसंगत दृष्टिकोण है, जिसमें नीचे दिए गए उद्धरण भी शामिल हैं:--

इंद्रजीत बनाम श्रीमती सुषमा रानी (3), बलविंदर कुमार और अन्य बनाम काशामा देवी उर्फ शामा देवी (4), अनोख सिंह और अन्य बनाम परमजी कौर (5), सुरजीत सिंह बनाम श्रीमती जसवन्त कौर (6), किशन शर्मा बनाम हरियाणा राज्य (7), शोरी लाल बनाम श्रीमती निशा और एक अन्य (8), और धन देवी बनाम दीपक (9)।

(12) चूँकि प्रतिभा रानी केस (ऊपर) में प्रतिपादित कानून के प्रस्ताव सहित सभी प्रासंगिक कारकों पर विधिवत विचार किया गया है, उपरोक्त इस न्यायालय की एकल पीठ के निर्णय में व्यक्त दृष्टिकोण से भिन्न होने का कोई ठोस कारण प्रतीत नहीं होता है। हालाँकि, पहली सूचना रिपोर्ट या आपराधिक शिकायतों के आधार पर आपराधिक कार्यवाही (प्रारंभिक चरण में) को रद्द करने का निर्णय लेते समय, किसी विशेष आरोपी के खिलाफ लगाए गए स्पष्ट, विशिष्ट और स्पष्ट आरोपों का संदर्भ दिया जाना चाहिए।

---

(3) 1986 (1) Recent Criminal Reports 527.

(4) 1988 (1) Recent Criminal Reports 67.

(5) 1990 (1) Recent Criminal Reports 497.

(6) 1990(1) Recent Criminal Reports 687.

(7) 1989 (I) Recent Criminal Rieports 13.

(8) 1989 (1) Recent Criminal Reports 276.

(9) 1989 (1) Recent Criminal Reports 273.

(13) मौजूदा मामले में, पत्नी के पिता द्वारा दर्ज की गई आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह पता नहीं चलता है कि उक्त विवाह के अनुष्ठान के समय अभियुक्त - याचिकाकर्ता (पति के अलावा) को दहेज की विशिष्ट वस्तुओं को इस्त्रीधन सौंपने के संबंध में कोई स्पष्ट, विशिष्ट और साफ आरोप हैं। दहेज का सामान सास- ससुर को सौंपने के संबंध में केवल अस्पष्ट और सामान्य आरोप हैं। गौरतलब है कि सास- ससुर और पति का भाई भटिंडा में रहते हैं, जबकि पति- पत्नी दोनों शादी के बाद ज्यादातर समय चंडीगढ़ में ही रहे। आरोपी- याचिकाकर्ताओं (पति के अलावा) के खिलाफ अधिक दहेज की मांग या उनके द्वारा इस्त्रीधान वापस करने से इनकार करने या आगे के आरोपों से संबंधित आरोप कि उन्होंने भी पत्नी के प्रति क्रूरता के साथ काम किया, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनाने के लिए उनके अंकित मूल्य पर नहीं लिया जा सकता है।

(14) इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं-अभियुक्त डॉ. विनोद कुमार, श्रीमती सावित्री और हुकम चंद के खिलाफ पत्नी द्वारा उनसे दहेज का सामान वापस मांगने बाबत कोई विशिष्ट, स्पष्ट और साफ आरोप नहीं हैं।

(15) डॉ. विनोद कुमार गोयल के विरूद्ध आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाये गये आरोपों को ध्यान में रखते हुए श्रीमती. सावित्री देवी और हुकम चंद, आरोपी- याचिकाकर्ता, उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 498- ए, 323/384/506 और 120 के तहत दंडनीय अपराध करने से संबंधित कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया गया है। इस प्रकार उपरोक्त आरोपी- याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लागू प्रथम सूचना रिपोर्ट और उसके तहत की गई कार्यवाही, जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा उक्त याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप भी शामिल हैं, को रद्द करने का निर्देश दिया जाता है, क्योंकि ऐसी कार्यवाही जारी रखना प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। अदालत। सी.आर.एल. विविध. क्रमांक 7675- एम 1989 तद्नुसार अनुमति दी जाती है।

(16) हालाँकि, विवाह के समापन के समय पति को दहेज की वस्तुएं सौंपने के साथ- साथ उक्त विवाह संपन्न होने के बाद पति को उसके ससुर द्वारा नकद भुगतान करने के संबंध में विशेष आरोप हैं। पति के खिलाफ भी विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं कि उसने अपनी पत्नी के प्रति क्रूरता से व्यवहार किया था और उस पर अपने पिता से अधिक नकदी या

दहेज लाने के लिए दबाव डालने के लिए उसके साथ दुर्व्यवहार और यातना देने का आरोप लगाया गया था।

(17) भारत भूषण गोयल (पति) के खिलाफ ऊपर उल्लिखित स्पष्ट, विशिष्ट और साफ आरोपों को ध्यान में रखते हुए, इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 498, 323/384/506/120 के तहत अपराध के संबंध है उक्त आरोपी-याचिकाकर्ता के खिलाफ में कोई प्रथम दृष्टया मामला सामने नहीं आया। याचिकाकर्ता भारत भूषण गोयल द्वारा दायर Crl. Misc. No. 1164-M of 1990 तदनुसार खारिज कर दिया जाता है। विचारण न्यायलय को निर्देश दिया जाता है कि वह कानून के मुताबिक भारत भूषण गोयल के खिलाफ अकेले ही मामले की सुनवाई आगे बढ़ाए। यदि आवश्यक हो, तो विचारण न्यायलय पहले से तय किए गए आरोप को बदल या संशोधित कर सकता है और उक्त आरोपी के खिलाफ मामले का शीघ्र निपटारा करे। इस आदेश की प्रति अनुपालन के लिए विचारण न्यायलय को भेजी जाए।

जे.एस.टी.

3805 HC—Govt. Press, U.T., Chd.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

करन वीर सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer)

बिलासपुर, यमुनानगर , हरियाणा